



GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE NO. 29/2014

No. E (Trg)2010(1)/11

New Delhi, dated: 20.03.2014

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.
CORE/Allahabad.

The Director General,
RDSO/Lucknow.
NAIR, Vadodara

The Chief Admn. Officers
Diesel Loco Modernization Works, Patiala.
COFMOW, New Delhi.

The Directors,
IRIEEN/Nasik
IRICEN/Pune
IRISET/Secunderabad
IRIMEE/Jamalpur
IRITM/Lucknow.
JR RPF Academy/Lucknow.

*Pl Issue
20/3/14*

Sub: Review of Eligibility Criteria for selection of Indian Railways Personnel
for Foreign Training – Corrigendum-2


Further to Board's letter of even no. dtd. 09.09.2010 and corrigendum dt. 25.10.2013,
regarding Eligibility criteria for selection of Indian Railways personnel for foreign trainings (outside
the structured Training Plan), following modification may be made:

1. **Mandatory Criteria**

Item (c) APAR Grading may be modified to read as under:

- c) **APAR Grading:** For Gazetted Officers the nominees must have APAR benchmark of "Very Good" during the preceding five(5) years.
For Non-Gazetted Officials, APAR gradings would not be a criterion for nomination.
D&AR clearance would not be compulsory, however vigilance clearance is mandatory.

3. All other norms and conditions specified in Board's letter of even no. dated 09.09.2010 and 25.10.2013 would remain the same.


(H. Moharana)
Director (Training)
Railway Board.
Fax No.011-23385099.

20/3/14

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(ट्रेनिंग)2010(1)/11

नई दिल्ली, दिनांक: २७ 03.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
कोर/इलाहाबाद।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
डीज़ल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला।
काँफ़मो, नई दिल्ली।

महानिदेशक
अ.अ.मा.सं./लखनऊ
एनएआईआर/वडोदरा

निदेशक,
इरीन/नासिक
इरिसेन/पुणे
इरिसेट/सिकन्दराबाद
इरिमी/जमालपुर
इरिटेम/लखनऊ
जेआर आरपीएफ अकादमी/लखनऊ

विषय: विदेश में प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेल के कर्मियों के चयन के लिए पात्रता मानदंडों की समीक्षा - शुद्धिपत्र -2

बोर्ड के दिनांक 09.09.2010 के समसंख्यक पत्र तथा दिनांक 25.10.2013 के शुद्धिपत्र, जो विदेश में प्रशिक्षण (संरचनाबद्ध प्रशिक्षण योजना से इतर) के लिए भारतीय रेल के कर्मियों के चयन के लिए पात्रता मानदंडों की समीक्षा के बारे में है, के क्रम में निम्नानुसार आशोधन किए जाएं:

1. अनिवार्य मानदंड

मद (ग) एपीएआर की ग्रेडिंग को आशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाए:

ग) एपीएआर ग्रेडिंग: राजपत्रित अधिकारियों के लिए, नामित व्यक्ति की पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान एपीएआर की बेंचमार्किंग "बहुत अच्छा" अवश्य होनी चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, नामांकन के लिए एपीएआर की ग्रेडिंग मानदण्ड नहीं होगी, डी एण्ड एआर की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी, बहरहाल, सतर्कता विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है।

3. बोर्ड के दिनांक 09.09.2010 तथा 25.10.2013 के समसंख्यक पत्र में विनिर्दिष्ट अन्य सभी नियम एवं शर्तें वही रहेंगी।

(एच. महाराणा)

(एच. महाराणा)
निदेशक (प्रशिक्षण)
रेलवे बोर्ड

फैक्स नं. : 011-23385099